



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229387
CG-DL-E-02092021-229387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3273]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943

No. 3273]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

का.आ. 3576(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना-अमृतसर- कटरा एक्सप्रेसवे कि.मी. 432.3 से कि.मी. 475.7 (कठुआ) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त कठुआ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना- अमृतसर- कटरा एक्सप्रेसवे कि.मी. 432.3 से कि.मी. 475.7 (कठुआ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर		जिले का नाम: कठुआ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हीरानगर					
गांव का नाम: गुराह डेलेदारन					
1	287	निजी	कृषि	0.0151000(हेक्टेयर)	0.0151000
2	41	सरकारी	गैरकृषि	0.0151000(हेक्टेयर)	0.0151000
3	45	निजी	कृषि	0.0151000(हेक्टेयर)	0.0151000
4	805	निजी	गैरकृषि	0.0151000(हेक्टेयर)	0.0151000
तालुक का नाम: कठुआ					
गांव का नाम: छतियाल					
1	122	सरकारी	कृषि	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
गांव का नाम: गंडियल					
1	378	निजी	कृषि	0.0303000(हेक्टेयर)	0.0303000
गांव का नाम: जखबर					
1	70	निजी	कृषि	0.0835000(हेक्टेयर)	0.0835000
2	71	निजी	कृषि	0.0582000(हेक्टेयर)	0.0582000
3	72	निजी	कृषि	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
4	73	निजी	कृषि/गैर कृषि	0.3920000(हेक्टेयर)	0.3920000
5	79	निजी	गैर कृषि	0.0506000(हेक्टेयर)	0.0506000
6	80	निजी	कृषि	0.4552000(हेक्टेयर)	0.4552000
7	81	निजी	कृषि	0.2150000(हेक्टेयर)	0.2150000
8	838	निजी	गैर कृषि	0.4173000(हेक्टेयर)	0.4173000
9	839	सरकारी	कृषि	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000

गांव का नाम: रामनगर					
1	137	निजी	कृषि	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
गांव का नाम: शेर तिम्बर					
1	20	निजी	कृषि	0.0581000(हेक्टेयर)	0.0581000
2	28	सरकारी	गैरकृषि	0.0531000(हेक्टेयर)	0.0531000
गांव का नाम: तर्फ मांजली					
1	1076	सरकारी	कृषि	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
तालुक का नाम: नगरी परोले					
गांव का नाम: नारोलिन					
1	293/1	निजी	कृषि	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
2	294	निजी	कृषि	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
कुल				2.0532	2.0532

[फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2021

S.O. 3576(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed NE5 in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km. 432.3 to Km. 475.7 (Kathua) in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Kathua in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH no. Newly Proposed NE5 in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km. 432.3 to Km. 475.7 (Kathua) in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: KATHUA		
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Hiranagar					
Village: Gurha Baildaran					
1	287	Private	Agriculture	0.0151000(Hectare)	0.0151000
2	41	Government	Non Agriculture	0.0151000(Hectare)	0.0151000
3	45	Private	Agriculture	0.0151000(Hectare)	0.0151000
4	805	Private	Non Agriculture	0.0151000(Hectare)	0.0151000
Taluk: Kathua					
Village: Chhatiyal					
1	122	Government	Agriculture	0.0177000(Hectare)	0.0177000
Village: Gandial					
1	378	Private	Agriculture	0.0303000(Hectare)	0.0303000
Village: Jakhbar					
1	70	Private	Agriculture	0.0835000(Hectare)	0.0835000
2	71	Private	Agriculture	0.0582000(Hectare)	0.0582000
3	72	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
4	73	Private	Agriculture/Non Agriculture	0.3920000(Hectare)	0.3920000
5	79	Private	Non Agriculture	0.0506000(Hectare)	0.0506000
6	80	Private	Agriculture	0.4552000(Hectare)	0.4552000
7	81	Private	Agriculture	0.2150000(Hectare)	0.2150000
8	838	Private	Non Agriculture	0.4173000(Hectare)	0.4173000
9	839	Government	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
Village: Ramnagar					
1	137	Private	Agriculture	0.0177000(Hectare)	0.0177000
Village: Sher Timber					
1	20	Private	Agriculture	0.0581000(Hectare)	0.0581000
2	28	Government	Non Agriculture	0.0531000(Hectare)	0.0531000
Village: Taraf Manjli					
1	1076	Government	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000

Taluk: Nagri Parole					
Village: Narolin					
1	293/1	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
2	294	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
Total				2.0532	2.0532

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3A]

RAJESH GUPTA, Director